यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम)

न्यू पलासिया, इंदौर (म.प्र.),
फोन : 0731-2544414, 4701109, फैक्स: 2542545
email : newpal@ucobank.co.in

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002) (सरफेसी अधिनियम 2002)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 (2002 का नियम 54) के अंतर्गत अचल संपत्ति की बिक्री जो की बैंक के पास बंधक है

जबकि, यूको बैंक, न्यू पलासिया शाखा, इंदौर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13(2) के ''सरफेसी अधिनियम'' के तहत जारी किए गए नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया था। बैंक की बकाया राशि ब्याज सहित वसुलने के लिए निम्न संपत्ति को ''जहाँ है जैसी है'' ''जैसी है वैसी है'' और जो कुछ है के आधार पर विक्रय करने का निश्चय किया है। ऋणी द्वारा बैंक का बकाया मय ब्याज के चूकाने में असफल होने के कारण निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक की बकाया राशि वसूल करने हेतु संबंधित संपत्ति का विक्रय किया जाना है। सपंत्ति की बिक्री अद्योहस्ताक्षर द्वारा ई-नीलामी प्लेट फार्म, जो वेबसाइट पर उपलब्ध है की जाना है।

ए) ऋणी का नाम एवं पता बी) जमानतदारों के नाम एवं पते	ए) मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि बी) मांग नोटिस की दिनांक सी) कब्जा दिनांक	संपत्ति का विवरण	ए) आरक्षित मूल्य बी) बयाना राशि सी) बढ़ने वाली बोली के लिए बढ़ती कीमत
ए) मेसर्स सूर्या ट्रेजर आइलैंड प्रा. लि., रजिस्टर्ड ऑफिस: इनज़िओ बिल्डिंग यूनिट क्रमांक 209, द्वितीय मंजिल, पी एण्ड जी सेंटर कार्डिनल ग्रेसियस रोड़, चकाला, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई - 400099, इंडिया, **कार्पोरेट ऑफिस:** छठी मंजिल, टेजर आईलैंड, 11, तुकोगंज, मेन रोड़, इंदौर (म.प्र.)- 452001 **बी) 1. श्री मनीष कालानी पिता श्री प्रेमस्वरूप** रहवासी 571, सुनिकेत अपार्टमेंट, खजराना मेन रोड़, इंदौर 452001 **2. मेसर्स इंटरटेनमेंट वर्ल्ड डेवलपर्स प्रा.लि.** **रजिस्टर्ड ऑफिस:** ऑफिस नं. 51, द्वितीय मंजिल, जुहू सुप्रीम शौपिंग सेंटर क्रॉस रोड़ नं. 9, जुहू चकाला, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई - 400049 **कार्पोरेट ऑफिस:** छठी मंजिल, टेजर आईलैंड, 11, तुकोगंज, मेन रोड़, इंदौर (म.प्र.) - 452001 **3. मेसर्स ट्रेजर वर्ल्ड डेवलपर्स प्रा.लि.,** **रजिस्टर्ड ऑफिस:** जी-16, तल मंजिल, आर आर होजयरी बिल्डिंग, श्री लक्ष्मी वुलन मिल कम्पाउण्ड ई मोसेस रोड़ के सामने महालक्ष्मी, मुंबई - 400011, **कार्पोरेट ऑफिस:** छठी मंजिल, टेजर आईलैंड, 11, तुकोगंज, मेन रोड़, इंदौर (म.प्र.) - 452001	**ए) यूको बैंक न्यू पलासिया** **72,62,76,351.91** **दिनांक 01.02.2014 से + ब्याज एवं अन्य खर्चे + एआरसीआईएल, मुंबई* (पूर्व में एसबीआई, इंडस्ट्रियल फायनेंस शाखा, इंदौर)** **21,04,61,764.72** **दिनांक 01.10.2013 से + ब्याज एवं अन्य खर्चे** **बी) यूको बैंक 24.02.2014 एआरसीआईएल * (पूर्व में एसबीआई, इंदौर) 07.10.2013** **सी) 07.05.2014**	मेसर्स सूर्या ट्रेजर आइलैंड प्रा.लि. के नाम से भूमि एवं भवन तथा उसमें निर्मित कार्य, प्लांट एवं मशीनरी और उसमें स्थापित फर्नीचर, फिक्चर एवं फिटिंग व अन्य अचल स्थापित एवं कंपनी के प्रोजेक्ट की वर्तमान संपत्ति जो की खसरा क्रमांक 744 ब्लॉक क्रमांक बी एवं 762 ब्लॉक क्रमांक सी, जुनवानी भिलाई तहसील एवं जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) में स्थित है। कुल क्षेत्रफल: 1.97 हेक्टेयर (19700 वर्गमीटर) कुल निर्माण क्षेत्रफल 5.25 लाख वर्गफीट (लगभग), संपत्ति के विवादित दुकाने/कार्यालय (लगभग क्षेत्रफल 58376 वर्गफीट) को छोड़कर जिसमें बैंक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। विशेषकर बैंक द्वारा जारी प्रमाणपत्र इस शर्त पर जारी किया गया है कि उसमें वर्णित सभी नियम एवं शर्ते मानी जाये। चर्तु:सीमा: उत्तर: सूर्या विहार डेवलपमेंट, दक्षिण: 150 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व: अन्य संपत्ति, पश्चिम: 100 मीटर चौड़ी सड़क	**ए) रु. 178.00 करोड़** **बी) रु. 17.80 करोड़** **सी) रु. 0.25 करोड़**

सूचना दिनांक: यूको बैंक: 24.02.2014, एआरसीआईएल *(एसबीआई): 07.10.2013 एवं आधिपत्य दिनांक: 07.05.2014

नीलामी बिक्री **23.12.2015** को **प्रात:10.00 बजे से सायं काल 4.00 बजे (आईएसटी के अनुसार उपरोक्त तालिका देखे)** के मध्य प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित वेबसाइट **https://ucobank.auctiontiger.net** के द्वारा **ऑनलाईन ई – नीलामी** बोली प्रक्रिया से होगी। **ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 22.12.2015 सायं काल 5 बजे।**

नियम एवं शर्तें: (1) **संपत्ति का विक्रय ''जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है'' एवं जो कुछ है के आधार** पर होगी। इच्छुक बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि संपत्ति जो की विक्रय करने हेतु प्रस्तावित है उस संबंध में रेवेन्यू/एसआरओ रिकार्ड, टायटल, डायमेंशन, सर्वे नं., डॉर नं., चर्तुसीमा या संपत्ति पर कोई प्रभार हो तो उस संबंध में पुरी जाँच कर ले।(2) इच्छुक बोलीकर्ता के पास **डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र** एवं ई-मेल पता होना चाहिए। डिजिटल हस्ताक्षर के लिए वे **M/s E-procurement Technologies Ltd. Ahmedabad** संपर्क संख्या: **079 - 40230823/ 821/824/816/815/814/813** या मोबाईल नं.: **09978591888** **ई मेल आई डी: mp@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net, hrushikesh@auctiontiger.net** से संपर्क कर सकते है। (3) बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने एवं ई - नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तो हेतु वेबसाइट **https://ucobank.auctiontiger.net (Auction tiger Mobile App)** को ध्यान पूर्वक देख ले। (4) संभावित बोलीकर्ता **M/s E-procurement Technologies Ltd. Ahmedabad** द्वारा ई - नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते है। प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिये कृपया टेलीफोन नं.: **079-40230813/ 814/ 815/ 816/ 817/ 818/ 819 /820** पर अवश्य संपर्क करें। (5) **प्रासंगिक विवरण सहित निर्धारित प्रपत्र में केवल ऑनलाइन के द्वारा ही बोलियाँ जमा की जाऐगी।** प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग निविदा जमा करनी होगी। (6) निविदा, पहचान दस्तावेजो की प्रति निविदा फार्म के साथ सलग्न कर जमा करनी होगी। केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा जारी पेन कार्ड, पासपोर्ड, वोटर आईडी, वैद्य ड्रायविंग लाइसेंस, फोटो, परिचय पत्र ही स्वीकार किये जायेगें, जिन्हें निविदा फार्म के साथ सलग्न कर जमा कराना होगा। पहचान दस्तावेज की मूल कॉपी जो कि निविदा फार्म के साथ सलग्न की है मांगने पर पेस करना होगा। (7) 10 प्रतिशत आरक्षित मूल्य आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से क्रेडीट **खाता क्रं. 02580210003947, यूको बैंक, न्यू पलासिया शाखा, इंदौर, IFSC कोड क्रं. UCBA0000258** में फंड ट्रासंफर करना होगा। ईएमडी राशि जो कि असफल बोलीकर्ता द्वारा जमा की जाएगी उसे बैंक द्वारा बिना कोई ब्याज दिए वापस कर दी जावेगी। ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीकर्ताओ को चाहिए की वे नीलामी की प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात इस संबंध में बैंक से संपर्क करें। (8) ऑनलाईन जमा किये हुए संलग्नकों के साथ (जिसमें **UTR** क्रमांक भी दर्शाया गया हो), बोली प्रपत्र की एक प्रति **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, न्यू पलासिया शाखा, गिरनार टॉवर, 2/5, न्यू पलासिया, इंदौर** को सौपी जायेगी अथवा इसकी सॉफ्ट प्रति ई-मेल **newpal@ucobank.co.in** को भेजी जायेगी। डाक अधिकारी/कॉरियर एजेंट या केरियर के कारण निविदा फार्म देरी से प्राप्त होने या न प्राप्त होते है तो उसके लिए बैंक उत्तरदायी नही होगा। (9) अपूर्ण निविदा या बिना हस्ताक्षर किए की निविदा या सिरियल क्रमांक 2,5,6, व 7 से मेल नही खाती है तो उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जावेगा। निविदा जो की उपरोक्त अनुसार अपसेट नही है तो आरक्षित मूल्य की राशि सरसरी तौर पर खारिज हो जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी को बिना पूर्व सूचना दिये या बिना कोई कारण बताये अपनी इच्छा अनुसार किसी एक बोली या एक से अधिक बोलीयों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, स्थगित करने या निरस्त करने अथवा आगे बढ़ाने, नियम और शर्तो में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार रहेगा। (10) नीलामी /बोली केवल ऑनलाइन ई-नीलामी माध्य से होगी। नीलामी के मध्य ऑनलाइन बोली उच्चतम बोली से प्रारंभ होगी एवं प्रत्येक बोली के न्यूनतम वृद्धि केवल उपरोक्त वर्णित राशि के लिए होगी। (11) यदि एक मात्र बोलीकर्ता द्वारा उसकी निविदा फार्म में जो राशि कोट की गई है उसे कम से कम एक बोली वृद्धि मूल्य उन्नत होना चाहिए। (12) नीलामी के वक्त जो उच्च बोली लगाई गई है उससे भी उच्चतम बोली मार्केट द्वारा नीलामी की समाप्ति के आखरी 5 मिनिट में भी प्राप्त हो जाती है तो नीलामी की समयावधि अगले 5 मिनिट के लिए स्वयं ही बढ़ जायेगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक की अगले 5 मिनिट के लिए कोई बोली नही लगती है और ई-नीलामी बंद हो जाती है। (13) उच्चतम बोली अंतिम रूप से अनुमोदन के आधार पर स्वीकार की जायेगी और उच्चतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता को यह अधिकार नही रहेगा की वह संपत्ति पर कोई दावा नही कर सकता जब तक की उसके पक्ष में विक्रय की पुष्टि नही हो जाती। (14) सफल बोलीकर्ता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (**EMD** से कम) उसके पक्ष में बोली लगते ही तुरंत आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा बैंक खाता जैसा की उपर क्रमांक 7 में वर्णित है जमा कराना होगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समयावधि में सफल बोलीकर्ता के पक्ष में पुष्टि पत्र जारी किया जायेगा। बिक्री पुष्टि लम्बित याचिका या अपील के परिणाम के बाद ही होगी। (15) सफल बोलीकर्ता को बिड राशि की 75% राशि विक्रय पुष्टि के **15 दिन** में या उसके पूर्व नियम 7 में वर्णित के अनुसार जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीकर्ता बिड राशि की बकाया राशि उक्त अवधि में चुकाने में असफल होता है तो उस परिस्थिति में ईएमडी की राशि राजसात कर ली जावेगी एवं संपत्ति का पुन: विक्रय होगी। चूककर्ता खरीददार प्रॉपर्टी पर या बिक्री हुई संपत्ति के किसी भी रकम पर अपना दावा पेश नहीं कर सकता। (16) संपत्ति का निरिक्षण पूर्व अनुमति लेकर दिनांक 15.12.2015 प्रात: 10 बजे से सायंकाल 5 बजे के मध्य किया जा सकता है। संपत्ति के संबंध में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो **मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, न्यू पलासिय शाखा, इंदौर-452001 (फोन नं. 0731-2544414)** से संपर्क किया जा सकता है। (17) दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से निविदा जमा कर सकते है उस परिस्थिति में विक्रय प्रमाण पत्र केवल उनके संयुक्त नाम पर होगा। जिन लोगों के नाम बोली में वर्णित है और विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया है उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम बोली में समावेश करने की प्राथना को स्वीकार नही किया जायेगा। (18) यदि संपत्ति की एक से अधिक आईटम आती है तो संपत्ति का विक्रय सुविधानुसार होगा। यह अनिवार्य नही है कि संपत्ति की बिक्री क्रमानुसार जैसे की उपर नोटिस में वर्णित है के अनुसार होगी। (19) बोलीकर्ता/ नीलामी क्रेता को ई-नीलामी के सेवा प्रदाता द्वारा ई-मेल के माध्यम से देने वाली जानकारीयां प्राथमिक होगी। ई-मेल भेजने की तिथि को सूचना देने की तिथि माना जायेगा। यदि कोई जानकारी प्राप्त नही होती है तो बोलीकर्ताओं से यह आशा की जाती है कि वो ई-नीलामी के सेवा प्रदाता से जानकारी लेने का प्रयास करें। गलती/पेमेंट जमा नही करना को जानकारी नही प्राप्त होने का कारण नही समझा जायेगा। (20) यदि संपत्ति का विक्रय 30 दिनों से कम समय के लिए स्थगित होती है तो उस परिस्थिति में नई विक्रय सूचना नही दी जावेगी। (21) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल बोलीकर्ता के पक्ष में विक्रय पुष्टि का प्रमाणपत्र देने के पूर्व यदि ऋणी द्वारा संविदात्मक बकाया अन्य खर्चो के साथ बैंक को जमा नही किया जाता है तो विक्रय की पुष्टि नही की जावेगी। (22) सफल बोलीकर्ता को अनन्य आवागमन के सभी चार्जेस, रजिस्टेशन फीस, स्टॉम्प ड्युटी, टैक्सेस, सरकारी ड्यूस इत्यादि वहन करना होगी। संबंधित संपत्ति के नीलामी का कोई चार्ज, लिन, भार या अन्य सरकार या किसी व्यक्ति का कोई बकाया है तो बैंक के प्राधिकृत अधिकारी उसके लिये जवाबदार नहीं रहेंगे। (23) कानून के अनुसार संपत्ति के पंजीकृत, लगने वाले खर्चे और फीस सफल बोलीकर्ता द्वारा वहन किये जायेगें। (24) यह सूचना ऋणियों/जमानतदारों को विशेषतया तथा आम जनता को साधारणतया दी जाती है। (25) बिना कोई कारण बताये किसी एक बोली को या अधिक बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने आगे बढ़ाने या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। नीलामी निरस्त होने पर असफल बोलीकर्ता द्वारा जमा इएमडी राशि उसे लौटा दी जावेगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। (26) ऑनलाईन बोलिया जमा होने के पश्चात कोई दावा स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। *** एसबीआई, औद्योगिक वित्तीय शाखा, इंदौर ने अपने हिस्से का कार्य एआरसीआईएल मुंबई को सौंप दिया है। सुरक्षित ऋणदाता बैंक की पुष्टि के पश्चात ही नीलामी बिक्री मानी जायेगी। विस्तृत संपत्ति संबंधित जानकारी एवं दस्तावेजो का सत्यापन और विक्रय की नियम एवं शर्ते प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, न्यू पलासिया शाखा, इंदौर से कार्य अवधि में प्राप्त किये जा सकते है।**

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 19.11.2015

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक